राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 494/2008/जयपुर
अपील संख्या – 495/2008/जयपुर

मैसर्स महावीर कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज,
जी–680, रोड़ नं. 9, एफ–2, वी.के.आई.एरिया,
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, वृत्त–ई, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री रमेश गुप्ता,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
श्री एन.के.बेद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स),चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत्त–ई, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.10.2003 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(4) एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत आरोपित मांग में से केवल शास्ति राशि को अपास्त कर, शेष मांग को यथावत रखते हुए व्यवसायी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपीलें पेश की गई है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी लूब्रिकेन्टिंग ऑयल व ग्रिस का निर्माता है कर निर्धारण अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेशों द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के नीचे लिखी सारणीनुसार आलौच्य अवधियों का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर, शास्ति व ब्याज की मांग अपीलार्थी के विरूद्ध कायम की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.08.2007 द्वारा आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.08.2007 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपीलें पेश की गई है। जिन्हें अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा नीचे लिखी सारणीअनुसार इन अपीलों में विवादित किया गया है:–

लगातार.....2

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी के अपील नं0	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
494/2008	14/11/आरएसटी	2001–02	78,445/–	35,956/–	760/–
495/2008	13/21/सीएसटी	2001–02	15,736/–	6,500/–	620/–

3 अपीलार्थी व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी प्रोत्साहन योजना, 1987 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त ईकाई है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रोत्साहन योजना, 1987 के अन्तर्गत की गई बिक्री पर आरोपित कर, सरचार्ज, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण अविधिक है। उनका अग्रिम तर्क था कि आयुक्त महोदय के क्रमांक P.16(60)(61)rject/Tax/CCT/99/731 दिनांक 15.7.2000 द्वारा प्रोत्साहन प्रमाण पत्र को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया था। अग्रिम तर्क किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध करारोपण से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया था। उनका निवेदन था कि प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जावे एवं आरोपित मांग को अपास्त की जावे।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है उन्होने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. मेने दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आलौच्य अवधीं में आरएसटी/सीएटी के अन्तर्गत जो करारोपण किया है वह प्रोत्साहन प्रमाण पत्र के निरस्त होने के फलस्वरूप किया गया है। अपीलार्थी व्यवसायी को इसकी जानकारी पूर्व में ही हो चुकी थी। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई कारण बताओ नोटिस दिया जाना नहीं पाया इसलिए ही अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा घोषित बिक्री पर ही गणना कर, कर निर्धारण अधिकारी ने करारोपण किया है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी ने बकाया कर राशि जमा नहीं करायी है इसलिए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज भी विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी आलोच्य अवधि में केवल शास्ति को अपास्त कर, अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की।

6. फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश 17.08.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष